



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612080/2636357 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3) / नि.आ./ बीपीसी(एल.पी.) / का.वि. / 2022 / 1963

दिनांक:-

14/03/2022

विषय:-

कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2022 की बैठक दिनांक 15.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई। इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय :-

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठकों के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्खा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	सुरपुरा	343	14.14.03 बीघा में से 11.08.11 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री जुगताराम पुत्र श्री सुरजाराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 334, 344 की अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में अनुमोदित जोनल ड्वलपमेंट प्लान अनुसार प्रस्तावित 60 फीट सड़क का अंकन कर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल-टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें। नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्यय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	मण्डोर द्वितीय	72/5/1	01.10.00 बीघा	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती उमा सोनी पत्नी श्री दिनेश कुमार सोनी, श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री महेश सोनी				
विषय:-	औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के आस-पास स्थित सड़कों के निर्धारण हेतु मुख्य सड़क को समिलित करते हुए रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	आंगणवा	188/3 से 188/5	12.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती पिस्तादेवी पत्नी श्री भंवरलाल, श्रीमती मीमादेवी पत्नी श्री पुखराज एवं श्रीमती चम्पादेवी पत्नी श्री बालुराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि तक रास्ता प्राधिकरण की भूमि में से उपलब्ध हो रहा है जिसके संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में रखे जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	माणकलाव (दईजर)	198, 198/1	105.18.00 बीघा	संस्थानिक (चिकित्सा सुविधाएँ, Multi-purpose Training Centre, Professional Institution)
आवेदक	भारत सेवा फाउण्डेशन जरिये प्रबन्धक द्रस्टी श्री किशोर सिंह गहलोत				
विषय:-	संस्थानिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि मण्डलनाथ-करवड जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर ड्वलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में जोनल ड्वलपमेंट प्लान एवम् पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 197 गै.मु नदी एवम् दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 199 गै.मु चौड़ी बाला स्थित है। अतः जोनल ड्वलपमेंट प्लान				

अनुसार नदी के सहारे 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी एवं उसके पश्चात् 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किया जावें। साथ ही मास्टर डबलपर्मेंट प्लान 2031 अनुसार गै.मु बाला के सहारे 30 फीट भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित की जावें।					
---	--	--	--	--	--

एजेण्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	नेतरा	357	17.08.00 बीघा	फार्म हाउस योजना
आवेदक	श्रीमती लता स्व. श्री भगतसिंह				
विषय:-	फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार न्यूनतम आवश्यक 18 मीटर पहुंच मार्ग हेतु आवेदित भूमि के सामने स्थित मुख्य जोधपुर-नागौर 200 फीट सड़क से आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। यदि उक्त 200 फीट सड़क से आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो आवेदक से 18 मीटर रास्ते का समर्पणनामा, म्यूटेशन व तरमीम नक्शा प्राप्त किया जावें। तदानुसार आवेदक से संशोधित मानवित्र प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	रामपुरा भाटियान्	442 / 2	रकबा 06.05.00 बीघा में से 00.10.00 बीघा	लघु उद्योग
आवेदक	श्री आदुराम पुत्र श्री मुकनाराम				
विषय:-	लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि एकल रूप में अवस्थित है जिसकी चौड़ाई कम है। साथ ही प्रकरण में सुरक्षात्मक दूरी के परिप्रेक्ष्य में सेटबेक उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया तथा आवेदक द्वारा				

आवेदित भूमि पर अवैद्य निर्माण किए जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
--

एजेण्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	पूंजला	375 / 250	02.05.00 बीघा में से 01.06.14 बीघा	शैक्षणिक (प्राथमिक विद्यालय)
आवेदक	श्री ब्रह्मसिंह पुत्र श्री तुलसीराम गहलोत				
विषय:-	शैक्षणिक (प्राथमिक विद्यालय) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क नार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले—आउट प्लान जारी किया जावें। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा जारी किये जाने पर जोन स्तर से पट्टे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावें। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवासि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	करवड	425 / मीन, 425 / मीन 1, 425 / मीन 2, 425 / मीन 3, 425 / 6 / 1	45.10.00 बीघा	आवासीय (सी.एम. जे.ए.वाई के प्रावधान 3 / सी के तहत)
आवेदक	श्री मुकेश परिहार पुत्र श्री बलवीरसिंह परिहार, श्री संतोष कुमार गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश गांधी, श्री कैलाश राठी पुत्र श्री दीनदयाल जी, श्री सत्यनारायण टाक पुत्र श्री खीयाराम, श्री महेश कुमार दयानी पुत्र श्री मंछराम, श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम, श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुरजाराम, श्री बंशीलाल सोनावत पुत्र श्री जयराम जी				
विषय:-	आवासीय (सी.एम.जे.ए.वाई के प्रावधान 3 / सी के तहत) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत				

निर्णयः—	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में NIFT हेतु भूमि आंवटन में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित बी.टी सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मास्टर ड्वलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। उक्त की सुनिश्चितता करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3/सी के तहत आवेदन किया गया है अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.01.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें। तथा स्वीकृति उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्यय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. सीएमजे-एवाई की गाइडलाईन की पूर्ण पालना की जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लघित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	---

एजेण्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्खा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	बासनी लाघा	86/4	17.11.00 बीघा में से 03.02.16 बीघा	व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कोजाराम पुत्र श्री छेलाराम				
विषयः—	व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्				
निर्णयः—	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मथानिया से नागौर की ओर जाने वाली रिंग रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर ड्वलपमेंट प्लान अनुसार 90 मीटर (300 फीट) रखा जावें। तथा उसके पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 				

(४)

	4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं। से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
	5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
	6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्खा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	देसूरिया विश्नोईयान्	55 व 56	17.00.00 बीघा में से 334.45 वर्गमीटर	डीजल पम्प
आवेदक	प्रबन्धक निवेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर				
विषय:-	डीजल पम्प प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श मास्टर ड्वलपमेंट प्लान 2031 अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग की डी.सी.आर के अन्तर्गत वाणिज्यिक गतिविधियों में डीजल पम्प अनुमत श्रेणी में होने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जोधपुर को स्वयं की बसों में डीजल भरवाये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले डीजल पम्प के संबंध में जोन उपायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्खा	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	दर्झजर	180/1, 181/1	13.08.00 बीघा	एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना
आवेदक	श्रीमती कीर्ति पत्नी श्री दिनेश कुमार, श्री सुजीत कुमार पुत्र श्री मोहनलाल				
विषय:-	एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में जोनल ड्वलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर सड़क का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क रामार्पित करवायी जावें। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पट्टे जारी किए जाने से पूर्व योजना में सूनित प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड के जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लिए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 3. आवेदित भूमि में से एक एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 4. ले-आउट प्लान में कृषि आधारित उद्योग के भूखण्डों से अन्य उपयोगों की ओर सुरक्षात्मक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम 9 मीटर सैटबैक का प्रावधान किया जावें। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्यय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।				

	<p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बद्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

एजेण्डा संख्या 13


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्का	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	करवड	153, 154, 213, 213/2	73.02.08 बीघा	रिसोर्ट हाउसिंग
आवेदक	श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री भीकाराम मेघवाल, श्री सुरेश पुत्र श्री रोशन, श्री आलमसिंह पुत्र श्री खयालीराम, श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री राजू मीणा				
विषय:-	रिसोर्ट हाउसिंग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार आवेदित भूमि के क्षेत्रफल में परिपेक्ष में 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार आवश्यक है। अतः तदानुसार संशोधित मानचित्र आवेदक से प्राप्त किये जावें। आवेदित भूमि के मध्य से एक कटाण मार्ग गुजर रहा है जिसके कारण आवेदित भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। अतः आवेदक से इस संबंध में संशोधित आवेदन प्राप्त किया जावें। आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में जोन स्तर पर पुनः जांच की जावें। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना में उल्लेखित नोट के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार आवेदक से एकल भूखण्ड अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। आवेदित भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन वाद की रिपोर्ट जोन/विधि शाखा से प्राप्त की जावें। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

एजेण्डा संख्या 14

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रक्का	प्रयोजन
15.02.2022	उत्तर	माणकलाव	446	11.00.00 बीघा में से 05.10.00 बीघा	फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री चुतराराम पुत्र श्री बींजाराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते को 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 				

2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार के आदेश इदनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक्क की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लग्भित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के राथ बैठक राग्पन हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 1966 - 1969 दिनांक:- 14/03/2022

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02 / 2022 वीं बैठक दिनांक 15.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लालूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति चंचल वर्मा उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर दिकास प्राधिकरण, जोधपुर